न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जगदीश आर्य

प्रार्थना पत्र संख्या 52/21 तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

.....प्रार्थी

बनाम

1. नरसी पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर
2. पूनम पुत्र सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर
3. मोती पत्नी सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर
4. लीलादेवी पत्नी नरसी गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर

.....अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 13.06.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारनाडूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण नरसी पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, पूनम पुत्र सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, मोती पत्नी सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं लीलादेवी पत्नी नरसी गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी ख0नं0 180 मि. रकबा 5 बीघा आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। जिसमें से आवंटी के खसरा नं0 360/0.02 में किया गया आवंटन मौके पर उक्त चाह सिंचाई के काम नहीं आने तथा खण्डहर होने के कारण अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 360 रकबा 0.02 पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त चाह सिंचाई के काम नहीं आने तथा खण्डहर होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्रार्थीगण की ओर से श्री छोटू लाल गुर्जर एडवोकेट उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थी को आवंटितशुदा भूमि वाके ग्राम बिलोली नदी भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त चाह सिंचाई के काम नहीं आने तथा खण्डहर होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण मौके पर आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 के अनुसार खसरा नम्बर 360 रकबा 0.02 में किया गया आवंटन निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया । को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 06.06.2002 को अप्रार्थीगण को ख0नं0 180 मि. रकबा 5 बीघा आवंटन किया गया था जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा सिंचाई के उपयोग हेतु ख0नं0 180 मि. रकबा 5 बीघा में एक चाह खुदवाया गया था जिसे सेटलमेन्ट द्वारा अलग से ख0नं0 360 रकबा 0.02 किस्म गै0मु0 चाह दर्ज किया गया था। उक्त चाह हमारे सिंचाई के ही काम आ रहा है किन्तु गर्मी के दौरान उक्त चाह में पानी नहीं होने से सिंचाई के लिए काम नहीं आता है। उक्त चाह आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटित नहीं किया गया था जबकि उक्त चाह अप्रार्थीगण द्वारा सिंचाई के उपयोग के लिए खुदवाया गया था जो कि सिंचाई के उपयोग में ही आ रहा है किन्तु गरमी के दिनों में चाह में पानी नहीं होने के कारण उससे सिंचाई में उपयोग नहीं लिया जाता है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में खाता संख्या 184 ख0नं0 360 रकबा 0.02 गै0मु0 चाह, खाता संख्या 53 ख0नं0 358, 358/626 रकबा 1.2500 है0, खाता संख्या 58 ख0नं0 361 रकबा 1.25 है0 की नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079, खसरा गिरदावरी आदि पेश की गई। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मलारनाडूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण नरसी पुत्र रामसहाय गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, पूनम पुत्र सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर, मोती पत्नी सुरजन गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर एवं लीलादेवी पत्नी नरसी गुर्जर निवासी बिलोली नदी तहसील मलारनाडूंगर को आराजी ख0नं0 180 मिन रकबा 5 बीघा आदेश दिनांक 06/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा सिंचाई के उपयोग हेतु ख0नं0 180 मि. रकबा 5 बीघा में एक चाह खुदवाया गया था जिसे सेटलमेन्ट द्वारा अलग से ख0नं0 360 रकबा 0.02 किस्म गै0मु0 चाह दर्ज किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त चाह सिंचाई के काम नहीं आने तथा खण्डहर होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

करने हेतु निवेदन किया गया है। खाता संख्या 184 ख0नं0 360 रकबा 0.02 गै0मु0 चाह, खाता संख्या 53 ख0नं0 358, 358/626 रकबा 1.2500 है0, खाता संख्या 58 ख0नं0 361 रकबा 1.25 है0 की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि जमाबन्दी में अप्रार्थीगण का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा उक्त जमाबन्दी में सिंचाई का साधन ख0नं0 360 का होना ही अंकित है। इसके अलावा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को ख0नं0 180 मिन. 5 बीघा आवंटित की गई थी जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा सिंचाई के उपयोग हेतु एक चाह खुदवाया गया जिसका पृथक से ख0नं0 360 रकबा 0.02 है0 जमाबन्दी में दर्ज है जिसे अप्रार्थीगण सिंचाई के उपयोग में लेते है। चूंकि चाह अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं के खर्चे पर खुदवाया गया है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त चाह आवंटित नहीं किया गया है तो तहसीलदार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण को आवंटित ख0नं0 180 मिन. 5 बीघा का आवंटन आदेश दिनांक 06.06.2002 से आवंटित नहीं हुए चाह का आवंटन खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारनाडूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **13.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर